उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या-211/2015/1683/9-8-2015-58ज/2015
लखनऊ दिनांक 25 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभागों/विभागों के बीच कार्य बटवारा-2002 में (दिनांक 31.10.2012 तक प्रकाशित) नगर विकास विभाग को आवंटित दर्शाये गये कार्यो के उपरान्त विभिन्न अनुभागों में बढे हुए कार्यो के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश कार्य (बटवारा) नियमावली 1975 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर विकास सचिव शाखा के अन्तर्गत विभिन्न अनुभागों में एतदद्वारा निम्नवत कार्यो का आवंटन किया जाना है :-

अनुभाग का नाम एवं कोड संख्या	**आवंटित कार्य**
नगर विकास अनुभाग-1/ नौ-1	1. माघ मेला, अर्द्वकुम्भ मेला, कुम्भ मेला इलाहाबाद से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	2. श्रावण झूला मेला, रामनवमी मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला, अयोध्या, फैजाबाद से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	3. मुडिया पूनों मेला मथुरा से सम्बन्धित कार्य।
	4. नागर निकायों में मेलों का प्रान्तीयकरण का कार्य।
	5. नागर निकायों के निर्वाचल से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	6. राज्य निर्वाचन आयोग के अधिष्ठान एवं बजट आवंटन से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	7. नगर पंचायतों के सृजन, सीमा बिस्तार, पुनरीक्षण, परिवर्तन, कार्यकाल बढाया जाना तथा अन्य बिन्दुओं से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	8. नगर पंचायतों में सदस्यों का मनोनयन किये जाने से सम्बन्धित कार्य।
	9. नगर पंचायतों के अध्यक्षों/सदस्यों के विरूद्व प्राप्त शिकायतों की जांच एवं उनके विरूद्व कार्यवाही किये जाने से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	10. नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों/अवर अभियन्ता तथा अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों से सम्बन्धित कार्य।
	11. राज्य सफाई आयोग से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	12. नागर निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	13. नागर निकायों के कर्मचारी संगठनों की मांग से सम्बन्धित कार्यो का अनुश्रवण।
	14. सफाई कर्मचारी संघ की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित कार्य।
	15. नगर विकास विभाग से सम्बन्धित नीति विषयक मामलों का कार्य।
	16. नगर पंचायत अधिनियम में संशोधन तथा नागर निकायों के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की सेवा नियमावली के प्रख्यापन का कार्य।
	17. स्वायत्तशासन स्थायी समिति।
	18. विधान परिषद के नियम पुनरीक्षण समिति।
	19. विधान सभा की नियम समिति/विनियमन समिति।
	20. विधान सभा की संसदीय अध्ययन समिति।
	21. विधान सभा की संसदीय शोध एवं अध्ययन समिति।
	22. विधान सभा की विधान पुस्तकालय समिति।
	23. विधान परिषद की विधायी समाधिकार समिति/विशेषाधिकार समिति।
	24. राष्ट्रीय सफाई आयोग से सम्बन्धित कार्य।
	25. बी.आर.जी.एफ. योजना से सम्बन्धित कार्य।
	26. स्थानीय निकायों के अन्तर्गत मैनुअल स्कवेंचर्स के प्रतिषेध तथा उनके पुनर्वासन से सम्बन्धित कार्य।
	27. सामाजिक आर्थिक जनगणना से सम्बन्धित कार्य।

http://shasanadesh.up.nic.in

	28.	नगर पंचायतों द्वारा संचालित विद्यालयों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	29.	उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित सूचना का अधिकार प्रकरणों, मा0 मुख्यमंत्री /महामहिम श्री राज्यपाल/मा0 नगर विकास मंत्री जी/मुख्य सचिव के सन्दर्भो /विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों, नियमों, आश्वासनों आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य।
नगर विकास अनुभाग-2/ नौ-2	1.	प्रदेश के पश्चिमी मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अली्गढ, सहारनपुर मण्डलों की नगर पालिकाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	2.	प्रदेश के पश्चिमी मण्डलों के अनतर्गत आने वाले गरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अली्गढ, सहारनपुर मण्डलों की नगर पालिकाओं का सृजन, विघटन, अवक्रमण, उन्नयन, वर्गोत्थान एवं सीमावृद्वि /परिवर्तन/कार्यकाल वृद्वि तथा इन मण्डलों के अन्तर्गत आने वाली नगर पालिकाओं के अध्यक्षों/सदस्यों के विरूद्व शिकायते, उनका निलम्बन, पृथकीकरण, अपील, त्यागपत्र, अधिभार तथा क्षतिपूर्ति की कार्यवाही तथा इनके विरूद्व प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव तथा प्रतिवेदन से सम्बन्धित कार्य।
	3.	प्रदेश के उपर्युक्त पश्चिमी मण्डलों के अन्तर्गत आने वाली नगर पालिकाओं में सदस्यों का मनोनयन।
	4.	प्रदेश के उपर्युक्त पश्चिमी मण्डलों के अन्तर्गत आने वाली नगर पालिकाओं के आदेशों/प्रस्तावों का विषेध।
	5.	विधान सभा/विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति से सम्बन्धित मामलों का समन्वय।
	6.	विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति।
	7.	विधान परिषद की विनिश्चय विधायन समिति।
	8.	स्थानीय नागर निकायों के विभिन्न कार्यो हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य।
	9.	उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 में संशोधन एवं उसकी विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत नियम/उपनियम बनाये जाने का कार्य।
	10.	उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत जलकर/सीवर व्यवस्था कर आरोपण अथवा संशोधन एवं जल संस्थाओं में वाटर टैरिफ लागू करना।
	11.	प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों की जलकर नियमावली एवं जल संभरण नियमावली बनाना अथवा उसमें संशोधन करना।
	12.	नागर निकायों की आवश्यकताओं के लिए भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्य।
	13.	उ0 प्र0 जल निगम/जल संस्थान से सम्बन्धित ड्राफट पैरा/आडिट पैरा से सम्बन्धित कार्य।
	14.	लोक लेखा समिति के मामले।
	15.	विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति।
	16.	पश्चिमी क्षेत्र की नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद बनाया जाना।
	17.	उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित सूचना का अधिकार प्रकरणों, मा0 मुख्यमंत्री /महामहिम श्री राज्यपाल/मा0 नगर विकास मंत्री जी/मुख्य सचिव के सन्दर्भो /विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों, नियमों, आश्वासनों आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य।
नगर विकास अनुभाग-3/ नौ-3	1.	उत्तर प्रदेश जल निगम के अभियन्ताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	2.	नागर निकायों के अन्तर्गत जलकल विभाग/जलसंस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	3.	उत्तर प्रदेश जल निगम, जल संस्थान, जलकल के कर्मचारी संघो की मांग से सम्बन्धित कार्य 1
	4.	उत्तर प्रदेश जल निगम/जल संस्थान/जलकल विभाग के कार्मिकों की सेवा नियमावली तथा बैठकों से सम्बन्धित कार्य।
	5.	जल निगम तथा जल संस्थान से सम्बन्धित वेतन आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन।
	6.	महामहिम राज्यपाल/मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के लम्बित संदर्भो तथा घोषणाओं/मुख्य सचिव/मा0 नगर विकास मंत्री जी के लम्बित सन्दर्भो के समन्वय का कार्य।
	7.	विधान सभा की अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति से सम्ब्न्धित प्रकरणों का समन्वय।
	8.	उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित सूचना का अधिकार प्रकरणों, मा0 मुख्यमंत्री /महामहिम श्री

http://shasanadesh.up.nic.in

	राज्यपाल/मा0 नगर विकास मंत्री जी/मुख्य सचिव के सन्दर्भो /विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों, नियमों, आश्वासनों आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य।
नगर विकास अनुभाग-4/ नौ-4	1. उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी प्रवर सेवा तथा अवर सेवा के अन्तर्गत अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त्/अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-3 के पदों के अधिकारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य। 2. उत्तर प्रदेश पालिका (केन्दीयित) अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत मुख्य अभियंता (सिविल, ट्रैफिक, विद्युत/यांत्रिक), अधिशासी अभियन्ता (सिविल, ट्रैफिक, विद्युत/ यांत्रिक), सहायक अभियन्ता, (सिविल, ट्रैफिक, विद्युत/यांत्रिक), अवर अभियन्ता(सिविल, ट्रैफिक, विद्युत/ यांत्रिक), पर्यावरण अभियन्ता के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य। 3. उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा के अन्तर्गत मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी, अधीक्षक तथा राजस्व निरीक्षक के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य। 4. उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) पशु चिकित्सा सेवा के अन्तर्गत पशुचिकित्सा अधिकारी श्रेणी-1 तथा पशु चिकित्सा अधिकारी श्रेणी-2 के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य। 5. उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) तरूपालन सेवा के अन्तर्गत उद्यान अधिकारी तथा उद्यान अधीक्षक के पदों के अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य। 6. नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों के लेखा संवर्ग के अन्तर्गत लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार श्रेणी-1/2 के अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य। 7. निदेशक, स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिष्ठान तथा बजट से सम्बन्धित समस्त कार्य। 8. नगर विकास विभाग के अन्तर्गत कोर्ट केसेज, लोकायुक्त संगठन तथा सर्तकता अधिष्ठान में लम्बित प्रकरणों के समन्वय का कार्य। 9. नगर विकास विभाग के अन्तर्गत पदों के सृजन, उच्चीकरण तथा रिक्तियों को भरे जाने सम्बन्धी प्रकरणों का समन्वय का कार्य। 10. उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित सूचना का अधिकार प्रकरणों, मा0 मुख्यमंत्री /महामहिम श्री राज्यपाल/मा0 नगर विकास मंत्री जी/मुख्य सचिव के सन्दर्भो /विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों, नियमों, आश्वासनों आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य।
नगर विकास अनुभाग-5/ नौ-5	1. उ0प्र0 के समस्त नागर निकायों के क्षेत्रों में पेयजल/जलोत्सारण/सीवरेज से सम्बन्धित समस्त कार्य। 2. केन्द्रपुरोनिधानित योजनाओं/कार्यक्रम एवं केन्द्र सरकार की योजनओं से सम्बन्धित कार्य। 3. पीपीपी मोड पर क्रियान्वित परियोजनाओं पर परामर्शी सेवाएं। 4. नगरीय परिवह्न निदेशालय। 5. राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं का क्रियान्वयन। 6. नगरीय जल निकासी योजना। 7. डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड। 8. वाहय सहायतित परियोजनायें। 9. नगरीय सड़क सुधार योजना। 10. ग्रीन यू0पी0 क्लीन यू0पी0 से सम्बन्धित कार्य। 11. शासन के विकास एजेण्डा से सम्बनिधत कार्य। 12. महामहिम राज्यपाल, मा0 वित्त मंत्री/मा0 नगर विकास मंत्री जी का बजट भाषण तैयार किये जाने एवं अन्य समारोहों पर उपर्युक्त विषयक पोषण सामग्री उपलब्ध कराना। 13. विभागीय बजट /वार्षिक योजना तैयार किया जाना। 14. ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र की नगर विकास विभाग से सम्बन्धित परियोजनायें। 15. नगरीय पेयजल कार्यक्रम। 16. नगरीय सीवरेज कार्यक्रम। 17. नगरीय पेयजल (जिला योजना)। 18. पेयजल, जलोत्सारण तथा सीवरेज से सम्बन्धित योजनाओं के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना गारन्टी देना तथा प्रतिदान। 19. राज्य सरकार की योजनाओं तथा केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अनुश्रवण से सम्बन्धित कार्य।

http://shasanadesh.up.nic.in

	20.	विधान सभा की प्राक्कलन समिति के समन्वय का कार्य।
	21.	बजट का समन्वय, वित्त विभाग तथा नियोजन विभाग की बैठकों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	22.	उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित सूचना का अधिकार प्रकरणों, मा0 मुख्यमंत्री /महामहिम श्री राज्यपाल/मा0 नगर विकास मंत्री जी/मुख्य सचिव के सन्दर्भो /विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों, नियमों, आश्वासनों आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य।
नगर विकास अनुभाग-6/ नौ-6	1.	प्रदेश के पूर्वी मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले लखनऊ, फैजाबाद, झांसी, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, आजमगढ, वाराणसी बस्ती देवीपाटन, मिर्जापुर, चित्रकूट मण्डलों की नगर पालिकाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	2.	प्रदेश के पूर्वी मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले लखनऊ, फैजाबाद, झांसी, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, आजमगढ, वाराणसी बस्ती देवीपाटन, मिर्जापुर, चित्रकूट मण्डलों की नगर पालिकाओं का सृजन, विघटन, अवक्रमण, उन्नयन, वर्गोत्थान एवं सीमावृद्वि/परिवर्तन/कार्यकाल वृद्वि तथा इन मण्डलों के अन्तर्गत आने वाली नगर पालिकाओं के अध्यक्षों/सदस्यों के विरूद्व शिकायतें, उनका निलम्बन, पृथकीकरण, अपील, त्याग पत्र, अधिभार तथा क्षतिपूर्ति की कार्यवाही तथा इनके विरूद्व प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन से सम्बन्धित कार्य।
	3.	प्रदेश के उपर्युक्त पूर्वी मण्डलों के अन्तर्गत आने वाली नगर पालिकाओं में सदस्यों का मनोनयन।
	4.	प्रदेश के उपर्युक्त पूर्वी मण्डलों के अन्तर्गत आने वाली नगर पालिकाओं के आदेशों/प्रस्तावों का निषेध।
	5.	प्रदेश की समस्त नगर पालिकाओं के अकेन्द्रीयित कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामले।
	6.	प्रदेश की नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के मामले।
	7.	प्रदेश की समस्त पालिकाओं के कर्मचारियों की सेवा नियमावली तथा पेंशन नियमावली।
	8.	चित्रकूट विकास समिति।
	9.	प्रदेश की समस्त पालिकाओं में अकेन्द्रीयित पदों का सृजन उनकी निरन्तरता तथा स्थायीकरण।
	10.	मंत्रिपरिषद के निर्णयों के कार्यान्वयन का समन्वय संबंधी कार्य।
	11.	पालिका संघ के मामले।
	12.	विधान परिषद/विधान सभा की याचिकाओं का समन्वय सम्बन्धी कार्य।
	13.	विधान परिषद की प्रश्न एवं संदर्भ समिति।
	14.	विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति।
	15.	विधान परिषद की विल्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति।
	16.	नगर पालिका परिषदों द्वारा संचालित विद्यालयों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	17.	उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित सूचना का अधिकार प्रकरणों, मा0 मुख्यमंत्री /महामहिम श्री राज्यपाल/मा0 नगर विकास मंत्री जी/मुख्य सचिव के सन्दर्भो /विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों, नियमों, आश्वासनों आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य।
नगर विकास अनुभाग-7/ नौ-7	1.	नगर निगमों द्वारा संचालित विद्यालयों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	2.	नगर निगमों का गठन, सीमा विस्तार तथा नगर निगमों से सम्बन्धित नीतियों का निर्धारण किये जाने से सम्बन्धित कार्य।
	3.	प्रदेश के नगर निगमों से सम्बन्धित समस्त कार्य (बजट व्यवस्था को छोडकर)।
	4.	नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख एवं नगर आयुक्तें के विरूद्व प्राप्त शिकायतों की जांच एवं उनका निस्तारण तथा इनसे सम्बन्धित समस्त कार्य।
	5.	नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों के मुख्य नगर लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षक के पदों के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	6.	नगर निगमों के अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	7.	नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों के जोनल सेनेटरी अधिकारी, मुख्य सफाई एंव खादय निरीक्षक, सफाई एवं खादय निरीक्षक के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	8.	विधान सभा/विधान परिषद की आवास सम्बन्धी एवं नगर निगमों से सम्बन्धित समिति के समन्वय का कार्य।
	9.	जनहित गारण्टी अधिनियम से सम्बन्धित कार्य।
	10.	शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास।

http://shasanadesh.up.nic.in

	11. उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित सूचना का अधिकार प्रकरणों, मा0 मुख्यमंत्री /महामहिम श्री राज्यपाल/मा0 नगर विकास मंत्री जी/मुख्य सचिव के सन्दर्भो /विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों, नियमों, आश्वासनों आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य।
नगर विकास अनुभाग-8/ नौ-8	1. नगर पालिका परिषदों की सम्पत्तियों तथा भवनों से सम्बन्धित समस्त मामले। 2. नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य। 3. उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रश्नों का समन्वय कार्य। 4. उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के आश्वासनों का समन्वय कार्य। 5. उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का समन्वय कार्य। 6. नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व प्राप्त शिकायतों का निस्तारण। 7. सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरणों का रख रखाव। 8. लेखा कोष्ठक, नगर विकास विभाग से सम्बन्धित कार्य। 9. उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सामाजिक सदभाव समिति का समन्वय। 10. नागर निकायों में पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने से सम्बन्धित समस्त कार्य। 11. आदर्श नगर योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं बजट से सम्बन्धित समस्त कार्य। 12. ई-गवर्नेन्स परियोजना से सम्बन्धित कार्य। 13. विधान परिषद की आंतकवाद निस्तारण समिति। 14. प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति के मामलों का समन्वय। 15. सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित समन्वय कार्य। 16. उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित सूचना का अधिकार प्रकरणों, मा0 मुख्यमंत्री /महामहिम श्री राज्यपाल/मा0 नगर विकास मंत्री जी/मुख्य सचिव के सन्दर्भो /विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों, नियमों, आश्वासनों आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य।
नगर विकास अनुभाग-9/ नौ-9	1. नागर निकायों के अन्तर्गत बाढ तथा सूखा से सम्बन्धित कार्य। 2. स्थानीय नागर निकाय हेतु वित्तीय जांच कमेटी तथा कर निर्धारण जांच कमीशन की संस्तुति के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कार्य। 3. नागर निकायों के वित्तीय प्रपत्रों का मुद्रण/प्रकाशन। 4. नागर निकायों के द्वारा आय के साधनों की वृद्वि हेतु लगाये जाने वाले विविध शुल्कों के निर्धारण से सम्बन्धित कार्य। 5. नागर निकायों के द्वारा लगाये जाने वाले गृहकर तथा अन्य करों(जलकर तथा जल निस्तारण को छोडकर) का निर्धारण। 6. उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्रभूमि और भवन कर अधिनियम, 1962 इसका प्रशासन और संशोधन। 7. शहरी सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य शासन के करों के प्रस्तावों पर कार्यवाही। 8. म्यूनिसिपल वित्त आयोग की स्थापना। 9. स्थानीय निकायों के करों तथा बजट से सम्बन्धित सेन्ट्रल काउन्सिल आफ एल0एस0जी0 प्रस्तावों पर कार्यवाही। 10. नागर निकायों के ऋणों एवं अनुदानों का समायोजन। 11. रिक्शा चालकों की समस्याएं। 12. विभिन्न राज्य वित्त आयोगों/केन्द्रीय वित्त आयोगों की संस्तुतियों के क्रियान्वयन एवं इससे वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने से सम्बन्धित कार्य। 13. नया सवेरा योजना (रिवालविंग फण्ड) 14. नगर निकायों पर विद्युत देयों का भुगतान। 15. कर एवं करेत्तर वसूली। 16. 4जी बाडबेण्ड सेवा एवं मोबाइल टावर से सम्बन्धित कार्य।

http://shasanadesh.up.nic.in

	17. ओद्योगिक इकाई संगठनों की समस्याओं एवं निस्तारण से सम्बन्धित कार्य। 18. पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पत्र विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत कार्यवाही। 19. महानगर योजना समिति के गठन एवं उससे सम्बन्धित कार्य। 20. वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड से सम्बन्धित कार्य। 21. विज्ञापन/प्रचार से सम्बन्धित नियमावली एवं उसके अन्तर्गत कार्यवाही। 22. पार्किंग नियमावली के सम्बन्ध में कार्यवाही। 23. राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के सुझावों एवं प्रस्तावों पर कार्यवाही। 24. अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति। 25. उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित सूचना का अधिकार प्रकरणों, मा0 मुख्यमंत्री /महामहिम श्री राज्यपाल/मा0 नगर विकास मंत्री जी/मुख्य सचिव के सन्दर्भो /विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों, नियमों, आश्वासनों आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य।
नगर विकास विभाग/ नौ-5 (गंगासेल)	1. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) के अन्तर्गत गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में घरेलू सीवेज से हो रहे प्रदूषद को नियंत्रित किये जाने सम्बन्धी समस्त कार्य। 2. उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित गगा ऐक्शन प्लान, यमुना ऐक्शन प्लान, गोमती ऐक्शन प्लान एवं झील संरक्षण कार्यक्रम का परफारमेन्स तथा मासिक/त्रैमासिक/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मूल्यांकन। 3. गंगा एवं सहायक नदियों के किनारे स्थित नगरों में सेनीटेशन हेतु सार्वजनिक शौचालय, धोबीघाट एवं शवदाहगृह आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य । 4. जाजमऊ कानपुर में टैनरियों द्वारा जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु सी.ई.टी.पी. से सम्बन्धित समस्त कार्य।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग/ नौ-69	1. राजीव आवास योजना। 2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)। 3. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के उपघटक बी0एस0यू0पी0 /आई0एच0एस0डी0पी0 योजना। 4. आसरा योजना। 5. रिक्शा योजना। 6. अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों /मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य, जल निकासी व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना कार्य। 7. जनपद-रामपुर में राट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य। 8. विधान सभा/विधान परिषद प्रश्न/आश्वासन एवं विधान सभा/विधान परिषद की समितियों से सम्बन्धित कार्य। 9. अधिष्ठान/जांच सम्बन्धी कार्य। 10. सूचना का अधिकार से सम्बन्धित /मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण। 11. जनहित गारण्टी अधिनियम से सम्बन्धित कार्य। 12. विभाग से सम्बन्धित अन्य विविध कार्य।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव

<u>संख्या-211/2015/1683/9-8-2015 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी नगर विकास विभाग।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी को मा0 राज्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/ विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव/अनुसचिव/, नगर विकास विभाग।
8. निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
10. सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि0) को उनके पत्र संख्या-1141/बीस-1-ई-2015-603(2)/14 दिनांक 10.07.2015 के अनुक्रम में इस अनुरोध के साथ कि उ0प्र0 सचिवालय के अनुभागों/विभागों के बीच कार्य बटवारें के अद्यतन नवीन अंक में प्रकाशित करये जाने का कष्ट करें।
11. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल/सूडा।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in